प्रेषक,

निदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा,
सेक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में

रजिस्ट्रार / प्राचार्य,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय / डिग्री राजकीय महाविद्यालय / अराजकीय अनुदान प्राप्त / स्वपोषित डिग्री महविद्यालय / राजकीय शिक्षण महाविद्यालय हरियाणा।

यादी क्रमांकः– 09 / 02–2019 छा (4)
दिनांक, पंचकूला 24-09-19

विषयः– Fresh award of Haryana State Merit Scholarship Scheme on the basis 10+2 Exam held in March/April 2019 @Rs. 300/PM and PG @450/- PM for the year 2019-20.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में राज्य के सरकारी, अराजकीय सहायता प्राप्त, स्ववित पोषी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में हरियाणा राज्य के निवासी, जिसने महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया है तथा छात्र / छात्रा द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से मार्च 2019 में दस जमा दो कक्षा उत्तीर्ण की है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा स्टेट मेरिट छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण 100 छात्र तथा 150 छात्रा एवं शहरी 100 छात्र तथा 150 छात्रा को स्टेट मेरिट के आधार पर 300 रूपये प्रति माह की दर से छात्रवृति राशि प्रदान की जानी है। अतः महाविद्यालयों में दाखिल 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र / छात्रा के प्रमाण–पत्र सहित पूर्ण सूचना निम्नाकिंत प्रोफार्मा अनुसार भिजवाएं।

Sr. No	Name of Institution	Name of Students	Name of Father	Class	Roll No.	Marks	%	Rural/Urban

स्कीमानुसार जिन छात्र / छात्राओं ने B.A/ B.SC/ B.Com- IIIrd year स्नातक वर्ष 2019 में उत्तीर्ण की और स्नातकोतर में दाखिला लिया हुआ है को स्टेट मेरिट के आधार पर 450 / – रूपये प्रति माह की दर से छात्रवृति राशि दिया जाना प्रस्तावित है। उन छात्रों जिन्होंने महाविद्यालयों में दाखिल 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र / छात्रा के प्रमांण–पत्र सहित पूर्ण सूचना निम्नाकिंत प्रोफार्मा अनुसार भिजवाएं।

Sr. No	Name of Institution	Name of Students	Name of Father	Class	Roll No.	Marks	%

नोटः जिन छात्र / छात्राओं द्वारा अन्य किसी स्कीम में छात्रवृति प्राप्त कर ली है या आवेदन किया हुआ है, उसे इस स्कीम में छात्रवृति के लिए पात्र नहीं माना जाएंगा। उपरोक्त सूचना विभाग को दिनांक 31.10.2019 तक हर अवस्था में निदेशालय में भिजवाएं। अन्यथा सूचना समय पर प्राप्त न होने पर समझा लिया जायेगा कि आपके महाविद्यालय में पात्र कोई छात्र / छात्रा नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि पात्र छात्रों की सूची विभाग को उक्त तिथी तक अवश्य भिजवाएं। ताकि स्कीमानुसार पात्र छात्रों की राशि समय पर भेजी जा सके। किसी भी प्रकार की देरी के लिए रजिस्ट्रार / प्राचार्य स्वंय जिम्मेवार होगे।

Ashu

उपनिदेशक, छात्रवृति,